छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

युगल पीठ- **माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं**

माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण ।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 889/2011

याचिकाकर्ता : **शृंखला सिंह**

बनाम

उत्तरवादीगण : **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

विचार के लिए आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

आदेश की घोषणा के लिए दिनांक- 27/3/2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

युगल पीठ- **माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं**

माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण ।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 889/2011

याचिकाकर्ता : **शृंखला सिंह**

बनाम

उत्तरवादीगण : **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री के.एस. पवार अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक -1 की ओर से : श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक -2 की ओर से : श्री पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आदेश

(पारित दिनांक-27/3/2012)

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश के अनुसार

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता पुनर्मूल्यांकन योजना के संबंध में उत्तरवादी संख्या 2 विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 9-01-1975 के पत्र और दिनांक 29-02-2004 के

संशोधन के माध्यम से विश्व विद्यालय द्वार बनाये गये अध्यादेश संख्या 14 और 18 में किए गए संशोधन की वैधता को चुनौती दिया गया।

2. इस रिट याचिका में निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई है:-

(i) माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय के हित में, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त बढ़े हुए अंकों के बजाय अधिकतम अंकों का 10% निर्धारित करने संबंधी अनुलग्नक पी-1 और पी-2 को रद्द करके इस याचिका को स्वीकार किया जाए और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के परिणाम में संशोधन किया जाए तथा उत्तरवादी संख्या 2 को इसके अनुरूप नई अंकसूची जारी करने का निर्देश दिया जाए।

(ii) याचिका की लागत प्रदान की जाए और;

(iii) कोई अन्य अनुतोष अनुतोष या निर्देश जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी प्रदान किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. रिट याचिका में शामिल विवाद के निर्णय के लिए संक्षिप्त और आवश्यक तथ्य संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा आयोजित एम.ए. अंतिम परीक्षा, 2009 में शामिल हुआ। परिणाम घोषित होने पर, याचिकाकर्ता को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया, जिसमें उसने 68.67% (कुल 750 अंकों में से 537 अंक) प्राप्त किए। हालांकि, याचिकाकर्ता "लोकगीत" विषय के दूसरे प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं थी, जिसमें उसे 100 में से 39 अंक दिए गए थे। अतः याचिकाकर्ता ने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करके उस विषय में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। दिनांक 29/11/2006 के पत्र (अनुलग्नक पी-6) के माध्यम से विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि पुनर्मूल्यांकन के बाद संबंधित विषय में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक अपरिवर्तित रहे। यद्यपि याचिकाकर्ता इससे संतुष्ट

नहीं था और उसने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता को उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध करा दी गई।याचिकाकर्ता ने एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से अनुरोध किया, जिन्होंने उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया और उनके अनुसार याचिकाकर्ता 89 अंकों की हकदार थी। इस पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से अपने उचित अंक प्रदान करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों के बीच कई पत्राचारों के बाद, दिनांक 04/06-03-2010 के पत्र (अनुलग्नक पी-19) के माध्यम से, लोक सूचना अधिकारी ने अंततः याचिकाकर्ता को सूचित किया कि अंकों में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन के नियमों के अनुसार, परीक्षकों द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन पर, अंतर कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं था। दिनांक 27-03-2010 के कवरिंग लेटर (प्रावरण पत्र) (अनुलग्नक पी-20) के साथ, याचिकाकर्ता को पुनर्मूल्यांकन से संबंधित सुसंगत अंश और नियम भी उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने परीक्षकों, उनकी योग्यता आदि के संबंध में जानकारी एकत्र की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पुनर्मूल्यांकन संबंधी अध्यादेश के सुसंगत प्रावधान के तहत पुनर्मूल्यांकन की विधि और ढंग से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका [डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6667/2010] दायर की, जिसे हालांकि अधिक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ दूसरी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया। इसके बाद, उपरोक्त वर्णित अनुतोषो की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. यद्यपि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित अध्यादेश में निहित प्रावधान को चुनौती देने वाली रिट याचिका काफी अस्पष्ट है, फिर भी याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अध्यादेश संख्या 14 के खंड ख के उप-खंड 9 और 10 में निहित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान

अत्यधिक मनमाना, अनुचित और तर्कहीन है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उनके अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के मामले में एकमात्र सुसंगत विचार यह होना चाहिए कि क्या पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन पर, मूल मूल्यांकनकर्ता और पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों में कोई अंतर आया है या नहीं। मुख्य विवाद यह है कि एक बार जब पुनर्मूल्यांकन पर अंतर पाया जाता है और पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उच्च अंक दिए जाते हैं, तो उम्मीदवार उच्च अंक प्राप्त करने का हकदार है, भले ही अंकों का अंतर उस विशेष विषय के लिए आवंटित अधिकतम अंकों के किसी प्रतिशत को पूरा करता हो या नहीं। यह भी आग्रह किया गया कि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियम मनमाने ढंग से यह प्रावधान करते हैं कि यदि अंकों में परिवर्तन होता है और पुनर्मूल्यांकन में उच्च अंक दिए जाते हैं, तो भी परिणाम में परिवर्तन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पहले दिए गए अंकों और पुनर्मूल्यांकन के बाद दिए गए अंकों का औसत अंतर, कुल आवंटित अंकों का कम से कम 10% न हो। यह नीति, जो अध्यादेश में शामिल है, पुनर्मूल्यांकन में छात्रों को अधिक अंक मिलने से रोकती है, क्योंकि यह अप्रासंगिक और बाहरी विचार पर आधारित है, जिसमें मांग की गई है कि अंतर कुल अंकों के कम से कम 10% तक होना चाहिए। मूल रूप से, यह दलील दी गई है कि कुल अंकों के 10% का संदर्भ पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं रखता है, इसलिए, अध्यादेश में निहित संबंधित नियम मनमाना, तर्कहीन और अनुचित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण इसे रद्द किया जाना चाहिए।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है और यह एक व्यापक नियम है। यह प्रावधान मूल मूल्यांकन में प्राप्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंकों, दो पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों, औसत और विभिन्न परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन में अंतर को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन की एक बहुत ही व्यापक नीति निर्धारित करता है। उनके अनुसार, पुनर्मूल्यांकन की योजना केवल इसलिए अंकों में परिवर्तन की अनुमति नहीं देती है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन पर अंकों में कुछ बदलाव हुआ है, बल्कि पुनर्मूल्यांकन पर उच्च अंकों का लाभ तभी मिलता है जब उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। उन्होंने तर्क दिया हैं कि पुनर्मूल्यांकन पर अंकों के पुरस्कार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, कुल अंकों का 10% निर्धारित करके प्रदान किया गया है, जिसे न तो अतार्किक और न ही मनमाना कहा जा सकता है। उन्होंने आगे दलील दी कि अध्यादेश बनाने वाले नीति निर्धारित करने में बहुत अधिक छूट का उपयोग करते हैं और जब तक पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान सक्षम कानून या भारत के संविधान के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक केवल इसलिए कि पुनर्मूल्यांकन का कोई दूसरा फॉर्मूला या योजना हो सकती है, नियम के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, जिसमें अध्यादेश के प्रावधानों की न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता करता हो, जो कानून के बल रखते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. "हमारे सामने उठाए गए मुद्दे पर विचार करने से पहले, हमें बार-बार दोहराना पड़ रहा है कि रिट याचिका में अभिवचन अत्यंत अस्पष्ट हैं। रिट याचिका के कंडिका 8.21 में, निम्नानुसार अभिवचन किया गया है:-

"इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन के नियम अनुलग्नक पी-1 और पी-2 गलत, अवैध और अधिकारातीत हैं, इसलिए रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि इनका अधिकतम अंकों से कोई संबंध नहीं है, इसके विपरीत इसका संबंध प्राप्त अंकों या पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़े अंकों से होना चाहिए। इसलिए, वे नियम अनुलग्नक पी-1 और पी-2 विधि के अंतर्गत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं और इसलिए रद्द किए जाने योग्य हैं।"

8. आगे, रिट याचिका में उठाए गए आधार, कंडिका 9.1 और 9.2 में नीचे पुनरुत्पादित किए गए हैं:-

9.1 "क्योंकि अनुलग्नक पी-1 और अनुलग्नक पी-2 पेपर के अधिकतम अंकों के अनुसार अंकों में 10% की वृद्धि के बारे में बात करते हैं, जिसका पुनर्मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है क्योंकि बढ़े हुए अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़े अंकों के संदर्भ में होने चाहिए, इसलिए अनुलग्नक पी-1 और पी-2 के प्रावधान अवैध हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

9.2 क्योंकि संशोधित अंकतालिका प्रदान न करना अवैध है, विशेष रूप से तब जब पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़े हुए अंकों का 10% याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंकों के बजाय अधिकतम अंकों का अंतर अवैध है और इसलिए अनुलग्नक पी-1 और पी-2 उस हद तक मनमाने और अवैध होने के कारण रद्द किए जाने योग्य हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों से, बहस के दौरान हम यह समझ पाए कि अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है कि किसी दिए गए विषय में निर्धारित अधिकतम अंकों के 10% का प्रावधान पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया और अंतिम परिणाम के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं रखता है। बहस के दौरान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बार-बार मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल के सचिव, भोपाल के दिनांक 09-01-1975 के पत्र के अंश का हवाला दिया, जो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित था, जिसमें पुनर्मूल्यांकन के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव हैं। हालाँकि, याचिका के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों को देखने के बाद, हम पाते हैं कि

पुनर्मूल्यांकन के सुसंगत नियम अध्यादेश संख्या 14 में निहित हैं, जो याचिका के साथ सामूहिक रूप से अनुलग्नक पी-2 के रूप में संलग्न है।

10. उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय ने अध्यादेश क्रमांक 14 और 18 में विधिवत अनुमोदित संशोधन भी अभिलेख पर रखे हैं। पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान अध्यादेश क्रमांक 14 में निहित हैं, जिसे विश्वविद्यालय ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 ("1956 का अधिनियम") की धारा 33 और 34 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया है। 1956 के अधिनियम की धारा 34 प्रावधान करती है कि प्रथम अध्यादेश को छोड़कर अन्य सभी अध्यादेश कार्यकारी समिति द्वारा बनाए जाएंगे, जो अनुमोदन के लिए कुलाधिपति के पास प्रस्तुत किए जाएंगे और कुलाधिपति उन्हें मंजूरी दे सकते हैं या नामंजूर कर सकते हैं। यह आगे प्रावधान करती है कि कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अध्यादेशs को विश्वविद्यालय सभा के समक्ष रखा जाएगा। 1956 के अधिनियम की धारा 33 और 34 में निहित प्रावधान, विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों को अधिनियम की धारा 33 में विभिन्न धाराओं में उल्लिखित मामलों के संबंध में अपने अध्यादेश बनाने की शक्ति देने वाले सक्षम प्रावधान हैं। इसलिए, यह शक्ति प्रशासनिक नहीं, बल्कि प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में है। सामर्थ्यकारी अधिनियम विधायिका द्वारा व्यापक योजना से संबंधित प्रावधान करता है, जबकि सहायक विधान की शक्ति विश्वविद्यालय और अधिनियम के तहत गठित उसके अधिकारियों के हाथों में छोड़ देता है। इसलिए, अध्यादेश बनाना प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में है। इस प्रकार तैयार किए गए अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो सक्षम विधायिका द्वारा पारित अधिनियम का होता है। *('संट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और अन्य*[1] देखें)।

1(2003)3 एससीसी 321

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. यह भली-भांति स्थापित है कि विधायी कार्रवाई की न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार, प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक पुनर्विलोकन की तुलना में बहुत अधिक सीमित हैं। *'भीम सेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य'* [2] के मामले में, यह माना गया था कि न्यायिक समीक्षा यह जांचने के लिए अनुमेय है कि कार्यकारी या किसी अन्य द्वारा बनाए गए नियम और विनियम उनकी वैधानिक शक्ति के भीतर हैं या नहीं।

12. *'सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ'3* [3] के मामले में, यह माना गया था कि एक डेलीगेट (प्रतिनिधि) अल्ट्रा वायर्स (अधिकार क्षेत्र के बाहर) तब कार्य करता है जब वह अपनी शक्ति से अधिक कार्य करता है, या जब वह दुर्भावना से या अस्वीकार्य उद्देश्य के लिए या अप्रासंगिक आधारों पर या प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज करते हुए या घोर अनुचितता के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. *'एयर इंडिया बनाम नरगेश मीरज़ा और अन्य'4* [4] के मामले में, यह माना गया है कि नियम में प्रावधान को रद्द किया जा सकता है, यदि वह अनुचित या पूरी तरह से मनमाना है।

'मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भोला उर्फ भैरों प्रसाद रघुवंशी'5 [5] के मामले में, अधीनस्थ विधान की वैधता को चुनौती देने के दौरान न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे पर विचार किया गया था। यह माना गया कि एक प्रत्यायोजित विधान को

2एआईआर 1995 एससी 435

3 (1990) 3 एससीसी 223

4 (1981) 4 एससीसी 335

5 (2003) 3 एससीसी 1

अदालत द्वारा मुख्य रूप से दो आधारों पर अमान्य घोषित किया जा सकता है। यह माना गया था:-

20."प्रत्यायोजित विधान को न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से दो आधारों पर अवैध घोषित किया जा सकता है: पहला, यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है और दूसरा, यह सामर्थ्यकारी अधिनियम का उल्लंघन करता है। यदि वह प्रतिनिधि जिसे नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, अपने अधिकार का उल्लंघन करता है और ऐसा कोई प्रावधान बनाता है जो अधिनियम के साथ असंगत है और इस प्रकार उसे दरकिनार करता है, तो इसे सामर्थ्यकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन जहाँ सामर्थ्यकारी अधिनियम स्वयं विधायिका के आनुषंगिक और सहायक कार्यों को उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यपालिका द्वारा किए जाने की अनुमति देता है, वहाँ प्रत्यायोजित विधान को सामर्थ्यकारी अधिनियम के उल्लंघन में नहीं माना जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का परीक्षण, प्रशासनिक कार्रवाई से भिन्न अनुषंगी विधायी कार्य की न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे और रूपरेखा को परिभाषित करने वाले उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों की कसौटी पर किया जाना आवश्यक है।

15. उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित सुसंगत प्रावधान, अध्यादेश संख्या 14 (संशोधित) के खंड ख में निहित हैं। उक्त अध्यादेश की प्रति, सामूहिक रूप से अनुलग्नक पी-2 के रूप में अभिलेख पर रखी गई है। उप-खंड (9) और (10), जो की गई चुनौती के आलोक में हमारी चर्चा के लिए सुसंगत हैं, नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

9. "जहाँ कोई उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है, उत्तर पुस्तिका, जिसमें पुनर्मूल्यांकन मांगा गया है, कुलपति द्वारा दो परीक्षकों (मूल्यांकन करने वाले के अलावा) को मूल्यांकन के लिए भेजी जाएगी, जिनमें से कम से कम एक छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर का होगा। उसी परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई पांच उत्तर पुस्तिकाएं और परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए अनुदेशों का ज्ञापन, यदि प्रश्न पत्र निर्माता द्वारा तैयार किया गया हो, प्रत्येक परीक्षक को भेजा जाएगा ताकि वे परीक्षक द्वारा निर्धारित मानक और ज्ञापन या अनुदेशों के आलोक में संबंधित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकें। यदि संबंधित विषय की परीक्षा में पांच से कम उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, तो सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रत्येक परीक्षक को भेजी जाएंगी। दोनों परीक्षकों में से प्रत्येक को उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए वह पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यदि किसी दो परीक्षकों द्वारा दिए गए अंक, मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों से पेपर के अधिकतम अंकों के १०% से अधिक भिन्न होते हैं, तो परीक्षक, मूल परीक्षक और दो पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं में से जो दो अंक एक-दूसरे के सबसे करीब होंगे, उनका औसत सही मूल्यांकन माना जाएगा। यह परिणाम में संशोधन, इस शर्त के अधीन है कि मूल अंकों से भिन्नता १०% से अधिक हो। यदि तीनों परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों में दो अंतर समान हैं, तो उम्मीदवार को अधिकतम लाभ प्रदान करने वाले दो अंकों को सही मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा।

16. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पुनर्मूल्यांकन की एक अत्यंत व्यापक योजना तैयार की गई है, जिसमें वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता का उच्च स्तर अपनाया गया है। जहाँ उम्मीदवार उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है, तो उसे उस परीक्षक के अलावा, जिसने शुरू में उसका

मूल्यांकन किया था, दो अन्य परीक्षकों को पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। इसमें आगे यह प्रावधान है कि उनमें से कम से कम एक परीक्षक छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर का होना चाहिए। इसके अलावा, एक ही परीक्षक द्वारा मूल्यांकित पांच उत्तर-पुस्तिकाएं और परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए अनुदेशात्मक ज्ञापन की एक प्रति, यदि पेपर सेटर द्वारा तैयार की गई हो, तो प्रत्येक परीक्षक को भेजी जाएगी, ताकि वे परीक्षक द्वारा निर्धारित मानकों और अनुदेशात्मक ज्ञापन के आलोक में संबंधित उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकें। उप-खंड 10 यह प्रावधान करता है कि यदि दो में से किसी भी परीक्षक द्वारा प्रश्न-पत्र में दिए गए अंक, मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों से, प्रश्न-पत्र के अधिकतम अंकों के 10% से अधिक भिन्न होते हैं, तो दो परीक्षकों, मूल परीक्षक और दो पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों में से जो दो अंक एक-दूसरे के सबसे करीब होंगे, उन्हें सही मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा। नियम आगे यह प्रावधान करता है कि परिणामों का ऐसा संशोधन इस शर्त के अधीन होगा कि मूल अंकों से भिन्नता में से कम से कम एक भिन्नता प्रश्न-पत्र के अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक हो। यदि तीनों परीक्षकों द्वारा आवंटित अंकों में दो अंतर बराबर हैं, तो सही मूल्यांकन के लिए उम्मीदवार के सबसे अधिक लाभ वाले दो अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. पुनर्मूल्यांकन के नियम का उपरोक्त विश्लेषण यह प्रकट करता है कि जहाँ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार के उत्तरों का निष्पक्ष मूल्यांकन हो, वहीं अध्यादेश बनाने वालों की नीति यह है कि केवल इसलिए अंकों में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि पुनर्मूल्यांकन के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है। नीति प्रतीत होती है कि जब तक सारभूत परिवर्तन न हो, पुनर्मूल्यांकन पर अंकों में परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा। अध्यादेश की ऐसी योजना जो पुनर्मूल्यांकन पर केवल तभी अंकों के परिवर्तन की अनुमति देती है

जब कोई सारभूत परिवर्तन हो, हमारी सुविचारित राय में, न तो मनमानी कही जा सकती है और न ही अतार्किक ।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से परीक्षक की व्यक्तिपरक संतुष्टि का विषय है जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है। यदि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी अन्य परीक्षक द्वारा किया जाता है, तो अंकों में कुछ परिवर्तन की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। इसलिए, मूल परीक्षक द्वारा दिए गए कुल अंकों और पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों में केवल अंतर का मतलब यह नहीं होगा कि उम्मीदवार के निष्पक्ष मूल्यांकन के अधिकार से वंचित किया गया है।

हालाँकि, जहाँ मूल परीक्षक और पुनर्मूल्यांकन के बाद परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों में अंतर सारभूत है, यह उम्मीदवार को पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए उच्च अंकों के दिये जाने का हकदार बना सकता है। इसलिए, पुनर्मूल्यांकन की योजना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उम्मीदवार को उचित अंकों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिसका वह उचित मूल्यांकन पर हकदार है, न कि उच्च अंक प्रदान करना, केवल इसलिए कि कुछ परिवर्तन है, क्योंकि व्यक्तिपरक मूल्यांकन में ऐसे परिवर्तन होना तय है।

18. "अध्यादेश बनाने वाले, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि कुल अंकों के कम से कम 10% की सीमा तक अंकों का अंतर, 'सारभूत परिवर्तन' माना जाएगा। हमारी राय में, ऐसा निर्धारण पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में केवल निष्पक्षता को बढ़ाता है।"

19. जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है, यह वर्तमान मामला नहीं है कि पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश को तैयार करते समय, मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पुनर्मूल्यांकन पर परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों का कोई प्रासंगिकता या संदर्भ नहीं है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पुनर्मूल्यांकन के संबंध में प्रावधान एक व्यापक प्रावधान है और न केवल मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों को ध्यान में रखता है, बल्कि पुनर्मूल्यांकन पर दो परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों को भी ध्यान में रखता है, जिसमें दो परीक्षकों और मूल परीक्षक तथा दोनों पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए कुल अंकों का औसत निकाला जाता है और जो एक-दूसरे के निकटतम हों। प्रावधान में विचार की गई कवायद का उद्देश्य, जहाँ तक संभव हो, सही मूल्यांकन तक पहुँचना है। इसलिए, प्रावधान यह व्यवस्था करता है कि यदि तीन परीक्षकों द्वारा आवंटित अंकों में से दो अंक बराबर हैं, तो सही मूल्यांकन तक पहुँचने के लिए उम्मीदवार के सर्वोत्तम लाभ के लिए दो अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम का मूल रूप से आवंटित अंकों और पुनर्मूल्यांकन पर दिए गए अंकों से कोई संबंध नहीं है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। अध्यादेश निर्माताओं की नीति कि अंकों में परिवर्तन तभी स्वीकार्य होगा जब प्रावधान में निर्धारित तरीके से पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास पर पर्याप्त परिवर्तन हो, मनमानेपन या अनुचितता से ग्रस्त नहीं है, बल्कि केवल उन संभावनाओं को मान्यता देता है कि हर मूल्यांकन में कुछ परिवर्तन या अंतर होना निश्चित है। कुल अंकों के 10% का निर्धारण पर्याप्त परिवर्तन का एक मापदंड है, जो हमारी राय में, अधिकारियों के हाथों में भेदभाव या मनमाने पूर्ण किये गये कार्य को समाप्त करते हुए नियम को निष्पक्षता प्रदान करता है और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों पर समान नियम लागू करता है।

जैसा कि *'पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य'6*[6] के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में हमेशा धारणा होती है और इसे चुनौती देने वाले पर अत्याधिकभार होता है। जिन दलीलों का हमने उल्लेख किया है, वे काफी अस्पष्ट हैं और यह प्रदर्शित करने के लिए शायद ही कुछ है जिससे हम इस नियम को मनमाना या अनुचित माने।

'शर्मा ट्रांसपोर्ट, प्रतिनिधित्व डी.पी. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य'7[7] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मनमानेपन के आधार पर अधीनस्थ विधान के न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे को स्पष्ट किया है जो इस प्रकार है: -

"कार्यकारी कार्रवाई पर लागू होने वाले मनमानेपन के परीक्षण आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित विधान पर लागू नहीं होते हैं। किसी प्रत्यायोजित विधान को मनमाने ढंग से खारिज करने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उसमें स्पष्ट मनमानापन है। मनमाने के रूप में वर्णित होने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि यह तर्कसंगत नहीं था और स्पष्ट रूप से मनमाना था। "मनमाने ढंग से" अभिव्यक्ति का अर्थ है: अनुचित तरीके से, पूर्व नियोजित है या मनमाना में या इच्छा पर किया गया है, बिना पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के, प्रकृति की चीजों पर आधारित नहीं, अतार्किक, तर्क या निर्णय के अनुसार नहीं किया गया या कार्य नहीं कर रहा, केवल इच्छा पर निर्भर है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

6 6. एआईआर 2003 एससी 1115

7 (2002) 2 एससीसी 188

20. मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन के सीमित दायरे की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *'हिंसा विरोधक संघ बनाम मिर्ज़ापुर मोती क़ुरैशी जमात और अन्य'8*[8] के मामले में पुनः परीक्षण किया गया था, जो निम्नानुसार है:

39. "हमने हाल ही में जीओपी बनाम पी. लक्ष्मी देवी के मामले में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को क़ानूनों की संवैधानिक वैधता को परखते समय न्यायिक संयम बरतना चाहिए। हमारी राय में, यही सिद्धांत प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिक वैधता को परखते समय भी लागू होता है और यहाँ भी न्यायिक संयम होना चाहिए। क़ानूनों के साथ-साथ प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता के पक्ष में एक धारणा है, और केवल तभी जब संवैधानिक प्रावधान (या प्रत्यायोजित विधान के मामले में, मूल क़ानून) का संदेह से परे स्पष्ट उल्लंघन हो, न्यायालय को इसे असंवैधानिक घोषित करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपरोक्त चर्चा और अध्यादेश संख्या 14 में निहित प्रावधानों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप, हमें यह मानना होगा कि याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/- **सही/-**

सतीश के. अग्निहोत्री **मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पsक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप हीअभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.

---

8 **(2008)5 एससीसी 33**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur